न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1872/2002/भीलवाडा

नाथू पुत्र बख्तावर जाति कुम्हार निवासी ग्राम मानपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1 काना पुत्र जीता
2 बालू पुत्र किशोर समस्त जाति कुम्हार निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डलगढ

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री सूरजभान जैमन, सदस्य
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री राजेश गौतम वकील अपीलार्थी
श्री पूर्णाशंकर दशोरा वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः..26.7.2018

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 65/2001 में पारित निर्णय दिनांक 19.3.2002 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मानपुरा तहसील माण्डलगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 880, 882,883, 887, 888, 889, कुल किता 6 कुल रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादी की जानकारी के बिना प्रतिवादी ने विभाजन करते हुए नामान्तरकरण संख्या 991 तस्दीक करा लिया एवं वादी को विभाजन में 1 बीधा भूमि उसके हिस्से से कम दी। अतः वाद स्वीकार कर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया एवं राजस्व

अभिलेख में वाद दायरी से लगभग 20 वर्ष पूर्व बंटवारा होना एवं वादी की सहमति होना कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर 6 तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 20.12.2000 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो उनके निर्णय दिनांक 19.3.2002 से खारिज कर दी गई। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात में वादी अपीलार्थी का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी प्रत्यर्थी का भी 1/2 हिस्सा है। 20 वर्ष पूर्व किये गये बंटवारा विधि अनुरूप नहीं है। बंटवारे में वादी अपीलार्थी को 1/2 हिस्से से कम लगभग 4 बीघा12 बिस्वा भूमि ही दी गई है जबकि प्रतिवादी को 1/2 हिस्से से ज्यादा 6 बीघा 11 बिस्वा भूमि दी गई है। उक्त बंटवारा वादी की सहमति से नहीं किया गया। उस समय वादी नाबालिग था एवं नाबालिग की सहमति नहीं ली जा सकती। अपीलार्थी का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दोनें अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों एवं कानूनी स्थिति के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि बंटवारा विधि अनुरूप वादी की सहमति से ही किया गया है। भूमि कम ज्यादा भूमि की किस्म अच्छी या बुरी के अनुसार दी गई है। वादी के हिस्से में दी गई भूमि अच्छी होने से कम है। वादी ने 20 वर्ष किये गये बंटवारे को चुनौति नहीं दी है। बंटवारा एक बार ही होता है। यदि वादी उस समय नाबालिग था तो बालिग होते ही तुरन्त उसके विरूद्ध चाराजोही करनी चाहिये थी। वादी ने ऐसा नहीं कर यह घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है। इसमें बंटवारे का अनुतोष नहीं मांगा गया है। यह दावा बहुत ही विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अतः अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्को के समर्थन में 1985 आर.आर.डी. पेज 694, 1988 आर.आर.डी. पेज 179, 143, 1977 आर.आर.डी. पेज 95, 1996 आर.आर. डी. पेज 398, 1997 आर.आर.डी. पेज 369, 1998 आर.आर. डी. पेज 547, 1992 आर.आर.डी. पेज 135 आदि न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित करते हुए 20 वर्ष पूर्व विवादित आराजीयात का बंटवसारा सहमति से होना मानकर वादी का वाद खारिज किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी समवर्ती निर्णय पारित करते हुए अपील खारिज की है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादी व प्रतिवादी की सह खातेदारी की थी तथा वादी का 1/2 हिस्सा था। राजस्व अभियान के दौरान वादी व प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर विवादित आराजीयात का बंटवारा दावा दायरी से लगभग 20 वर्ष पूर्व किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2037 से 2040 में खसरा नम्बर 880/2, 882, 888, 889 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा वादी अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज है। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात का बंटवारा दावा दायरी से लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुका था। वादी अपीलार्थी का इस संबंध में यह कथन रहा है कि उस समय वादी नाबालिग था एवं नाबालिग की सहमति कोई महत्व नहीं रखती है। प्रथम तो वादी के वाद पत्र में तथा प्रथम अपील मीमों में यह अभिवचन/ दलील नहीं रही है। इसे द्वितीय अपील के मीमों में कथित किया है। वादी ने वाद के विचारण के दौरान ऐसा अभिवचन व साक्ष्य द्वारा इस कथन को प्रमाणित नहीं कराया है। इस कारण अब यकायक इस कथन को द्वितीय अपील के स्तर पर स्वीकार करने हेतु पर्याप्त एवं समुचित साक्ष्य विद्यमान नहीं होने से यह वाद स्वीकार/अपील स्वीकार का आधार नहीं हो सकता है। वादी की व्यथा जैसा कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अंकित किया है, किसी अन्य को/ प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय करना है तो ऐसे विक्रय होने को बीस वर्ष पूर्व की व्यवस्था को बदलने हेतु आधार नहीं लिया जा सकता है एवं यह घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद बंटवारे से 20 वर्ष बाद पेश किया गया है। यदि वादी उस बंटवारे से असहमत था तो चुनौति देनी चाहिये थी। परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। उसके कई वर्षो बाद यह दावा प्रस्तुत किया गया है जो बहुत अधिक देरी से प्रस्तुत किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 19.3.2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(सूरजभान जैमन)
सदस्य